

पंजिकृत रसीदी  
उल्लंघन पत्र



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय



दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कॉम्प्लेक्स, पोस्ट -विधानसभा, रायपुर-छ.ग -(492005,  
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595, [Email-ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:Email-ro.raipur.ibm@gmail.com)

सं छग/दुर्ग/चूना-30CHG08001 दिनांक 22-11-2017  
प्रेषित: श्री टी प्रसन्ना कुमार, ऐजेन्ट,  
एफ-8, एमआइडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया,  
हिंगना रोड,  
नागपुर- 440 016  
विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी मेटाबोडेली लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 25 हे पर  
खसंविनि 2017 के नियमों का उल्लंघन।  
महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 12/09/2017 को श्री जे एस हाड़ा, सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26 (2)	The Annual Report of the protective and rehabilitative works carried out for the year 2016-17 has not been submitted.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(रुद्र नारायण मिश्र)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति:

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
2. संचालक,, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो